

आयालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मुं० नं० 21/14 तारीख 22.5.14

उपवान - प्रेम बनाम सवाई सिंह
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री रामभरो सी शुक्ला Adv ने प्रार्थना पत्र काबट अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीजनों को नोटिस से तलब किया जाये। पत्रावली दिनांक 18.6.14 को पेश हो।

1191-50
23.5.14

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (कटौली)

18/14 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीजनों की तलब हो चुकी है। वापस द सूचना उपस्थित नहीं। Po साफ करी ली मिटिंग में पचाइ है बाहेत अग्रिम आदेश दिनांक 16.7.14 को पेश हो।

16/14 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 13.8.14 को पेश हो।

13/14 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठसम अगिकारी... है। गतानुसार दिनांक 10.9.14 को पेश हो।

10/10 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठसम अगिकारी... है। गतानुसार दिनांक 1.10.14 को पेश हो।

1/14 तकुलाय उपस्थित/पीठसम अगिकारी... है। गतानुसार दिनांक 29.10.14 को पेश हो।

यालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

बहाल

पत्रावली राजस्व लोक अदालत। न्याय आपके बा
 क्रैम्प अहमदपुर में पेश हुई। प्रतिवादी के परिवार सदस्य
 उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। इस
 प्रकरण से संबंधित मूल दावा घोषणा खोले दारी
 एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विरासत के आधार पर भूमि
 की घोषणा करने का प्रस्तुत किया है। मूल दावा
 में ही विस्तृत साक्ष्य। विवेचन के आधार पर ही
 निर्धारण किया जा सकता है। लिहाजा प्रार्थना
 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये रखा
 उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र
 अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।
 पत्रावली के सल शुमा नम्बर से कम होकर
 दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

